



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236855
CG-DL-E-27062022-236855

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2767]
No. 2767]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASHADHA 6, 1944

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2022

का.आ. 2907(अ).—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 61) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री संजीव कौशिक के स्थान पर श्री भूषण कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को तत्काल प्रभाव से अथवा अगले आदेशों तक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मण्डल में निदेशक नामित करती है।

[फा. सं. 7/4/2020-एसी]

चन्द्रगुप्त शौर्य, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2022

S.O. 2907(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 6 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (61 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri Bhushan Kumar Sinha, Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi as a Director on the Board of Directors of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), with immediate effect or until further orders, vice Shri Sanjeev Kaushik.

[F. No. 7/4/2020-AC]

CHANDRAGUPTA SHAURYA, Under Secy.